न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 17/23

GCMS NO 2023/14

1. रमेश
2. कांजी
3. गोरीलाल
4. घनश्याम पिसरान रामनारायण जातियान बैरवा निवासीयान संजय कालोनी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
5. [illegible]नी पुत्री रामनारायण पत्नि हीरालाल जाति बैरवा निवासी टोडाभीम तहसील व जिला करौली
6. कैलाश पुत्र भरोसी जाति बैरवा निवासी मकनपुर तहसील सपोटरा जिला करौली
7. शारदा पुत्री भरोसी पत्नि रामेश्वर निवासी रानोली तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. किशोरी
2. बाबूलाल
3. रामजीलाल पिसरान पिल्लू जाति बैरवा निवासी ग्राम माच तहसील व जिला करौली हाल चूली की बगीची गंगापुर सिटी
4. भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्व मु0नं0 82/22 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2022 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री के0एल0योगी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विनोद अग्रवाल

दिनांक 16.12.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से [illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2022 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी [illegible] के [illegible] ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार [illegible] वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का [illegible] किया कि वादीगण के बाबा पन्ना पुत्र जयराम की खातेदारी भूमि सम्वत 2003 ख0न0 700 [illegible] बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

17 विस्वा ख0न0 708 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा ग्राम चूली मे स्थित है। जिसके एकीकरण मे ख0न0 479 कायम हुए। पन्ना के मरने के बाद खातेदारी उनके पुत्र रामनारायण पुत्र पन्ना के नाम विरासत से दर्ज हो गई तथा सेटलमेंट ने उक्त भूमि के नये ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 कायम किये गये। हाल ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 ग्राम चूली वादीगण की पैतृक आराजीयात है। जिससे जन्म से ही वादीगण उक्त भूमि के मृतक रामनारायण के साथ कोशेयरर है। रामनारायण के मरने के बाद से ही उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा रहा है तथा वादीगण भूमि से लाभान्वित होते चले आ रहे है। वादीगण के पिता रामनारायण नशे के आदि रहे है वादीगण के परिवार मे घरू खर्च वास्ते रूपयो की ऐसी कोई आवश्यकता भी नही थी वादीगण स्वयं के बालिंग होने के बाद से ही खेती एवं मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है तथा वादीगण संख्या 1 ता 2 सरकारी कर्मचारी रहे है। उन्हे रूपये की भी कोई आवश्यकता नही रही । रामनारायण पुत्र पन्ना सरकारी सेवा मे रहे है। दिनांक 15.3.22 को वादीगण अपने खेतो पर कार्य कर रहे थे इतने मे प्रतिवादीगण मौके पर आ गये तथा वादीगण को धमकी दी यह भूमि हमने रामनारायण से क्रय कर ली है अब हम इस भूमि पर कब्जा करेगे। इस बात पर हमने प्रतिवादीगण से कहॉ कि तुमने विक्रय पत्र को छुपाकर क्यो रखा है। विवादित भूमि रामनारायण की पैतृक आराजीयात है इसलिए उसको बेचने का अधिकार रामनारायण को नही है। रामनारायण के साथ साथ वादीगण 1/5, 1/5 हिस्से के कोशेयरर है। तथाकथित विक्रय पत्र को यदि सही भी माना जावे तो रामनारायण को उक्त भूमि मे से 1/5 हिस्से से ज्यादा बेचने का अधिकार नही है। क्योकि उक्त भूमि मे 4/5 हिस्से के वादीगण कोशेयेरर है। वादीगण उक्त विक्रयपत्र को अपने हिस्से 4/5 की हद तक प्रभावशून्य घोषित कराने के अधिकारी है। वादी को उक्त विक्रयपत्र की आड मे प्रतिवादीगण अपने हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण को भूमि ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 से बेदखल नही करने तथा वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने तथा भूमि को दीगर व्यक्तियो को रहन बेचान नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही गई।

प्रतिवादीगण की और से अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 31.10.22 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी का पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा संख्या 82/2022 एवं प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा संख्या 67/22 खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बाद उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश मे अंकित किया है कि पंजीकृत विकय पत्र को प्रभावशून्य घोषित कराने के विधि विरूद्व अधियाचना की गई है। विकय पत्र के संदर्भ मे सुनवाई का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। जो एकदम गलत है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा पैतृक भूमि मे अपने हिस्से की भूमि की घोषणा करवाने के लिए वाद पत्र पेश किया गया था। विवादित आराजीयात कृषि भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। अपीलार्थी/वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त कराने का अनुतोष नही मांगा गया है। बल्कि अपीलार्थी के हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित कराने की मांग की है। जिसके संबध मे माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्वान्त पारित किया बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कानूनी भूल की है। प्रत्यर्थीगण के उक्त क्षैत्राधिकार के आधार को जबाब दावे मे लिया जा चुका था जिस पर तनकीयात कायम होने के उपरान्त ही विधिक प्रकिया के अनुसार साक्ष्य सबूत ग्रहण करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण करना था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व मंडल व उच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि घोषणा के वाद को प्रारंभिक स्टेज पर आदेश 7 नियत 11 के माध्यम से निरस्त नही किया जा सकता है। जिसके संबंध मे राजस्व मंडल द्वारा आर आर टी 2019 पार्ट I पेज 116 पर अपना भी सिद्वान्त प्रतिपादित किया ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण मे साक्ष्य सबूत ग्रहण कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा रेस्पो/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के हक मे किये गये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 15.6.98 को प्रभावशून्य घोषित कराने की रिलीफ अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे चाही गई थी। पंजीकृत विकय पत्र को प्रभावशून्य घोषित करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। इस हेतु सिविल न्यायालय से रिलीफ प्राप्त किये जाने का कानून मे प्रावधान है। विधि अनुसार कर्ता खानदान द्वारा सम्पति का अन्तरण किये जाने के संबंध मे अन्य सदस्यो को चुनौती दिये जाने का विधिक अधिकार प्राप्त नही है। कर्ता खानदान परिवार के हितार्थ सम्पति का रहन बेचान व अन्तरण करने हेतु विधि अनुसार सक्षम है। अपीलांट के पिता रामनारायण द्वारा परिवार की आवश्यकताओ की पूर्ति एवं कर्ता खानदान होने की हैसियत से अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को रजिस्टर्ड विकय पत्र से रेस्पो0 से प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा संभलवाया गया है। अपीलांट/वादीगण द्वारा पंजीकृत विकय पत्र को [illegible] कराने की रिलीफ घोषणा के माध्यम से चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय [illegible] द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन एवं अध्ययन किये जाने के पश्चात [illegible] रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 वाके ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे आरजीयात ख0न0 742 रकबा 1.07 है0 किशोरी,बाबूलाल,रामजीलाल पुत्रान पिल्लू जाति बैरवा निवासी ग्राम मांच तहसील करौली राहिन स.मा.सह.भूमि विकास बैंक शाखा गंगापुर सिटी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2015 से 2017 मे उक्त आराजीयात रामनारायण पुत्र पन्ना जाति बैरवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2070 से 2071 मे आराजीयात किशोरी,बाबूलाल,रामजीलाल पुत्रान पिल्लू जाति बैरवा के नाम का अंकन होते हुए गैहू की फसल काश्त होने का अंकन है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात पैतृक है। इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अपीलांट के पूर्वज रामनारायण पुत्र पन्ना द्वारा आराजीयात को जरिये पंजीकृत विकय पत्र से रेस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को विकय किया गया है। जो उप पंजीयक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 15.6.98 को पंजीवद्व किया गया है। चूकि भूमि अपीलांट के पूर्वज रामनारायण द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बेचान किया गया है जिसको निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व धारा 151 सीपीसी को विधि अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। जो विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी के मु0नं0 82/22 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2022 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:05:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner